न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 1/2020
दायर दिनांक : 16.01.2020

अनवान

1. काना पिता ज्वारा जाति धाकड निवासी मुकुन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़।
2. माधू पिता ज्वारा जाति धाकड निवासी मुकुन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़।
3. रामू पुत्री ज्वारा जाति धाकड निवासी मुकुन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़।
4. नाथी पुत्री ज्वारा जाति धाकड निवासी मुकुन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़।
5. भोजराज पिता गंगाराम जाति धाकड निवासी मुकुन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़।
6. नंदलाल पिता गंगाराम जाति धाकड निवासी मुकुन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़।
7. मंजू पुत्री गंगाराम जाति धाकड निवासी मुकुन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़।
8. केली पत्नि गंगाराम जाति धाकड निवासी मुकुन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़

––प्रार्थीगण

बनाम

1. चन्द्रसिंह पिता जालमसिंह जाति राजपूत निवासी मुकन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़।
2. देबीसिंह पिता जालमसिंह जाति राजपूत निवासी मुकुन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़।
3. नारायणसिंह पिता जालमसिंह जाति राजपूत निवासी मुकुन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़
4. भूरकवॅर पुत्री जालमसिंह पत्नि जाति राजपूत निवासी सदापुर तहसील माण्डलगढ़।
5. चॉदकवॅर पुत्री जालमसिंह पत्नि महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़।
6. बैवी कवॅर पुत्री जालमसिंह जाति राजपूत निवासी महलों का मानपुरा तहसील माण्डलगढ़।
7. शाखा प्रबन्धक महोदय बैक ऑफ बडौदा शाखा माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 26.02.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मुकन्दपुरिया पटवार हल्का मुकन्दपुरिया में स्थित आराजी संख्या 107,108,109,110,111,112,113 किता 7 रकबा 15 बीधा 04 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आने जाने का एक मात्र कदीमी समय से रास्ता ग्राम मुकन्दपुरिया पटवार हल्का मुकन्दपुरिया तहसील [illegible] जो कि राजस्व रेकार्ड में पगडंडिया तथा रास्ते के रूप में दर्ज रेकॉर्ड है। पूर्व [illegible] विपक्षीगण की आराजी नं. 103 की पूर्वी मेर पर होकर स्थित [illegible] जो कि राजस्व रेकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज [illegible] पहुॅचते है नम्बर 113 पर पहुॅचते है। जिसमें से [illegible] है। आराजी नम्बर 215 पर करीब 15 से 20 फीट चोडा रास्ता मोजूद है परन्तु वि[illegible]ण द्वारा दिनांक 27.12.2019 को पूर्वी मेड पर स्थित रास्ते को बन्द कर दिया। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। जिससे प्रार्थीया का अपनी जमीन पर पहुॅचना असम्भव हो गया। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीया नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 107,108,109,110,111,112,113 पर पहुॅचने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:17:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

लिए विपक्षी संख्या की खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी संख्या 103 मे 15 से 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन जोटिस जारी कर तलब किया गया। दिनांक 27.02.2020 को विपक्षी संख्या 1 व 2 की और से इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। जवाब में कथन किया कि विपक्षी की कब्जेसुदा भूमि 107,108,109,110,111,112,113 भूमि स्थित है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर आने जाने हेतु आराजी नम्बर 215 से होकर आते जाते है जो वर्तमान में 15 से 20 फीट रास्ता मौजूद है। उसी रास्ते को प्रार्थीगण आने जाने हेतु लेना चाह रहे है। आराजी नम्बर 103 की पूर्वी मेर पर 15 से 20 फीट रास्ता घोषित किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नही है। नियमानुसार उक्त रास्ते की भूमि का दुगूनी राशि क्षतिपूर्ति हेतु हमे दिलायी जावें।

दिनांक 28.12.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम मुकुन्दपुरिया पटवार हल्का मुकनपुरिया की आराजी संख्या 107,108,109,110,111,112,113 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 103 में से रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिये मांगा गया रास्ता लघुतम नही है। आराजी नम्बर 118 व 121 की पूर्वी मेड पर जाने से दूरी न्यूनतम होगी परन्तु प्रार्थी उक्त रास्ता ही चाहते है। उक्त भूमि पर पहुँचने के लिए अप्रार्थी के खाते की भूमि 0.0712 हैक्टेयर भूमि रास्ते के उपयोग में ली जायेगी। इस सम्बन्ध में यह भी है कि अन्य पक्षकारान् को पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण को सूचना देने पर अप्रार्थीगण की ओर से देबी सिंह और चन्द्र सिंह मौके पर उपस्थित हुये है। अप्रार्थीगण की ओर से पत्रावली में प्रतिरक्षण की कार्यवाही नही की है। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली 9 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा व खातेदारी भूमि का वैकल्पिक रास्ता हेतु उपयोग होगा जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 103071 रूपये प्रति बीघा से 46382 रूपये दुगुनी से 92764 रू. बनती है।

पत्रावली पेश हुई। हमने सर्वपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076–79, दिनांक 28.12.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। बाद अवलोकन एवं मनन पाया गया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होंता है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(।।) () के अनुसरण में ग्राम मुकुन्दपुरिया पटवार हल्का मुकनपुरिया की आराजी संख्या 107,108,109,110,111,112,113 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण की ग्राम मुकुन्दपुरिया पटवार हल्का मुकनपुरिया में स्थित आराजी संख्या 103 के पूर्वी मेर पर 15 से 20 फिट रास्ते हेतु कुल 09 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा। विपक्षीगण के आराजियात में से रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 103071 रूपये प्रति बीघा से 46382 रूपये बनती है। दुगुनी दर 92764 रूपये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किये जाने पर एवं अप्रार्थी द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 में प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 26.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले [illegible] में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhar
Date: 2021.04.12 14:17:01 IST
Reason: SelfAttested

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़